

प्रिय,

जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी
बोधा ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

सेन्ट मैरीज प्राथमिक पाठशाला,

ज्योति नगर

नगरपालिका

संख्या/वि०/मा/मन्ता/

3461-3509

/91-92 दिनांक 8/9/

विषय:- आन्तरिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थायी/अस्थायी मान्यता भर्त्तीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रति,

उपरोक्त विषयक जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 7.5.91 के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की स्थायी/अस्थायी मान्यता 1990-91 8300 नव 1991 तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:- 30 जून 1991 तक प्रतिबन्धों की पूर्ति न किये जाने पर मान्यता नवीनीकरण अग्रेतम की तिथि से आगे नहीं करना सम्भव न होगा । जिसका सम्पूर्ण उत्तर वापिस आपको भेजा ।

1- तोतापेटो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रतिबन्धानुसार विद्यालय समिति का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करा लिया जाय । प्रबन्ध समिति के प्रमाणपत्र अर्थात्कृत होने के बिना ही अतिपूर्ति वित्तीय सहायता आदि सेव न होगी ।

2- विद्यालय के पुस्तकालय में रु० 1000-00 रु० हजार रुपया मात्र अर्थात्कृतताम-सर्ग के पद नाम से बन्ध करवाया जाय ।

3- विद्यालय प्राप्त जेब में रु० 2000-00 रु० दो हजार रुपया मात्र की वल सम्पत्ति का नाम सम्पत्ति के रूप में विद्यालय के नाम बन्ध होना चाहिये ।

4- विद्यालय निवेशानुसार प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं मान्य के अनुसार रखे जाय और यदि अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति हो तो विद्यालयानुसार उनके स्थान पर अधिनियमों 1978 के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाय ।

5- जिले के विषय पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री एवं साज सज्जा आपूर्ति किया जाय ।

6- विद्यालय के पुस्तकालय में रु० 500-00 की स्वीकृत पुस्तकों का प्रबन्ध किया जाय ।

7- विद्यालय द्वारा विद्यार्थी आदेशों/ निर्देशों का पालन किया जाय ।

भवदीय

8 आर० एस० सिंह

जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी

बोधा

/ उत्तर तिथि को ।

संख्या/वि०/मा/मन्ता/

प्रति नोट:- निम्नलिखित को पुनर्वाच्य एवं आवश्यकता विद्यो हेतु प्रेषित :-

818 अन्तर्गत सहायक शिक्षा निदेश (नियम) जारी ।

828 उप विद्यालय निदेश जारी ।

838 शिक्षा अधीन नगर जेब- जारी ।

अक्षर

परमेश्वर

8 आर० एस० सिंह

जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी

बोधा